ई-मेल द्वारा

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-निरीक्षण/2020/ 55559-678 दिनांक:- 08.12.2020

1-उप महानिरीक्षक कारागार रेंज,जयपुर,जोधपुर एवं उदयपुर
2-समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक,प्रभाराधिकारी,केन्द्रीय जिला/
उच्च सुरक्षा कारागृह/,महिला बंदी सुधारगृह उप कारागृह/
बाल बंदी सुधार गृह,राजस्थान

विषय:-जेलों में अवाँछित निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी/उपलब्धता तथा जेल से संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध **'ऑपरेशन फ्लश आउट'** के अन्तर्गत की जाने वाली अगले चरण की कार्यवाही

प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक 665-825 दिनांक 21/11/2020 एवं 53808-958 दिनांक 03/12/2020

महोदया/महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि जेलों में मोबाईल फोन, चार्जर, अफीम, चरस आदि मादक पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट ,जर्दा, गुटका एवं अन्य अवांछनीय निषिद्ध वस्तुओं का तस्करी के माध्यम से प्रवेश तथा बंदियों के द्वारा जेलों में आपराधिक गतिविधियों के संचालन पर पूर्ण अंकुश लगाने के महानिदेशालय कारागार द्वारा जेल विभाग की समस्त जेलों में दिनांक 21/11/2020 से **'ऑपरेशन फ्लश आउट'** के नाम से एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है।

'ऑपरेशन फ्लश आउट' के अन्तर्गत पूर्व में (i)राज्य की समस्त जेलों की सघन तलाशी (ii)आपराधिक कृत्यों,भ्रष्टाचार एवं मिली भगत में लिप्त स्टाफ को चिन्हित कर कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा (iii) जेलों में आतंक का पर्याय बने हुए हार्डकोर बंदियों को उनके सुविधाजनक दायरे(कम्फर्ट जोन) से अन्यत्र जेलों में स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश दिये थे।

निम्नहस्ताक्षरकर्ता को विश्वसनीय एवं आधिकारिक सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि राज्य की कुछ जेलों में बंदियों को सुविधा शुल्क लेकर **विभिन्न अवांछनीय,अनावश्यक,अनाधिकृत एवं अवैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।** उदाहरणार्थ-जोधपुर जेल में बंदियों के पास खाद्य सामग्री जैसे-आटा, चीनी, दाल आदि पाया गया। जबकि राज्य सरकार द्वारा सभी बंदियों को पौष्टिक भोजन पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा रहा है। 9,

इसी प्रकार कई बंदी बैरिकों में आलू, प्याज तथा सब्जियां रखते हुए पाया गया तथा उनको बनाने/काटने के लिए चाकू आदि भी बंदी बैरक में पाये गये। चूंकि जेल में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं तथा किसी भी प्रकार के आपसी विवाद के दौरान चाकू, बर्तन, कल्छी आदि से कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसी प्रकार कई कारागृहों में बंदी बैरक में हीटर भी पाये गये हैं।

यह स्थिति पूर्णतः शोचनीय, आपत्तिजनक, अवांछनीय तथा अवैधानिक है। इसके साथ ही इस प्रकार की स्थिति जेलों में पाया जाना जेल पर पदस्थापित जेल अधीक्षक, उपाधीक्षक, कारापाल, उप कारापाल एवं मुख्य प्रहरी का **भ्रष्टाचार में लिप्तता,मिलीभगत अथवा भीरूता(डरपोक होना)** का प्रतीक है।

अतः एतद् द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि **'ऑपरेशन फ्लश आउट'** के चतुर्थ सोपान के अन्तर्गत समस्त जेल प्रभारीगण जेल मेन्यूअल में दिये गये प्रावधानों की कड़ाई से पालना करें तथा अनाधिकृत,अवांछनीय,अनावश्यक व अवैधानिक वस्तुओं की बन्दियों तक उपलब्धता पूर्णतः समाप्त कर दें। यदि भविष्य में निरीक्षण के दौरान इस प्रकार की स्थिति/घटनाओं की पुनरावृत्ति पाई गई, तो सभी उत्तरदायी अधिकारी, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों न हों, को अविलम्ब निलम्बित कर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

सभी जेल प्रभारीगण (यथा-अधीक्षक, उपाधीक्षक, कारापाल, उप कारापाल, मुख्य प्रहरी) सोमवार, दिनांक 14/12/2020 तक इस आशय का **प्रमाण-पत्र स्वयं के हस्ताक्षरों से** ई-मेल द्वारा कारागार मुख्यालय को Email ID-contro omjhq-rj@gov.in पर प्रेषित करें कि **उनकी स्वयं की कारागृह एवं उनके अधीनस्थ कारागृह में** किसी भी बंदी के पास अनाधिकृत, अवांछनीय, अवैधानिक एवं अनावश्यक सामग्री/सुविधा उपलब्ध नहीं है।

भवदीय,

08.12.2020

(राजीव दासोत)
महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि-निम्नांकित को पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1-अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,कारागार,राजस्थान,जयपुर।
2-महानिरीक्षक पुलिस कारागार,राजस्थान,जयपुर।
3-महानिरीक्षक कारागार,राजस्थान,जयपुर।
4-कमाण्डेन्ट,13वीं बटालियन,आर.ए.सी.,जयपुर

महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

लगातार......03

लगातार......

क्रमांक-निरीक्षण/2020/ 55559-678 दिनांक:- 08.12.2020

प्रतिलिपि-अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,एस0ओ0जी0 एवं ए0टी0एस0,राजस्थान, जयपुर सूचनार्थ प्रेषित है:-

08.12.2020

(राजीव दासोत)
महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं कारागृहों का निरीक्षण/तलाशी के दौरान दृष्टिगत रखने हेतु प्रेषित है:-

1- पुलिस आयुक्त,जयपुर एवं जोधपुर
2- समस्त कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,राजस्थान
3- समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण एवं पुलिस उपायुक्त,राजस्थान

08.12.2020

महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर